न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—213/2020/225 (2020/00213)

1. नवलकिशोर पुत्र जयसिंह,
2. भगवानसिंह पुत्र स्व0 जयसिंह,
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 जयसिंह,
4. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 जयसिंह,
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जयसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी 1/2 चम्पानगर, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक, तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. डूंगा उर्फ डूंगरसिंह पुत्र बीरमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम जेतपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 1.10.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 29/2020 (2020/00136)

उपस्थितः—

1. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 29.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 1.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश अपीलांट व राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि ग्राम जेतपुरा, पटवार हल्का अतीतमण्ड व भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुराड़िया, तहसील ब्यावर स्थित खसरा संख्या 166 रकबा 0.1497 है0 किस्म बारानी 2 व खसरा नंबर 167 रकबा 0.1942 है0 किस्म चाही—3 भूमियां अवस्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें आने जाने का रास्ता उक्त ग्राम जेतपुरा की आराजी खसरा संख्या 182 की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित मेड़ के सहारे—सहारे होते हुए व खसरा नंबर 428/183 में से होकर निकल रही नरेगा सड़क से उक्त खसरा की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित मेड़ के सहारे—सहारे 3—4 फुट चौड़ा रास्ता विद्यमान है जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया है । उक्त 3—4 फुट चौड़ रास्ते में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जानबूझकर खसरा नंबर 182 व 428/2183 की सीमा पर जबरन कांटों की बाड़ लगाकर रास्ते को बंद करने पर आमादा है जबकि उक्त खसरा, खसरा संख्या 182 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि नहीं है । प्रार्थीगण ब्यावर शहर के निवासी है व अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम जेतपुरा का स्थाई निवासी है जो अपने गांव के 20–25 लोगों को ले आता है व उक्त रास्ते से होकर प्रार्थीगण को निकलने में बाधा उत्पन्न करता है जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 166, 167 पर कृषि कार्य करने में भंयकर असुविधा हो रही है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि आराजी कृषि संख्या 182 की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित मेड़ के सहारे–सहारे होते हुए व खसरा संख्या 428/183 में से होकर निकल रही नरेगा सड़क से उक्त खसरा संख्या 428/183, 182 की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित मेड़ के सहारे सहारे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु 3–4 फुट चौड़ा रास्ते को विस्तारित कर 30 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 1.10.2020 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलाटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में किसी प्रकार की कोई बहस दिनांक 1.10.2020 को नहीं हुई बल्कि प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में पेश बिन्दूवार रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु व रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में आये नये बिन्दुओं का जवाब उल जवाब पेश करने हेतु व बिन्दूवार रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु समय चाहा गया जिस पर अधी0न्याया0 के पीठासीन अधिकारी जी द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 3.10.2020 नियत की गई थी । लेकिन उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि उक्त प्रकरण को दिनांक 1.10.2020 को ही निस्तारित करते हुए प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र ही खारिज कर दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने आदेश में खसरा नंबर 182 सिवायचक भूमि में से व खसरा संख्या 428/183 चारागाह भूमि में से रास्ता प्रयुक्त किया जाना जाहिर किया है जबकि प्रार्थीगण का मुख्य आरोप है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 182 में से व खसरा नंबर 428/183 में से होकर रास्ते का पिछले कई वर्षो से उपयोग कर रहे है किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा आये दिन लड़ाई झगड़ा कर उपरोक्त खसरा नंबरान पर कांटे व पत्थर डालकर उक्त रास्ते को बंद कर देता है । इसलिये उपरोक्त दोनों खसरा नंबरान में से प्रार्थीगण को रास्ता दिलवया जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावे । उपरोक्तानुसार बिन्दूवार रिपोर्ट भी पक्षकारो की अनुपस्थिति में बनायी गई है जबकि मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनायी जाकर बिन्दूवार रिपोर्ट पेश किया जाना चाहिये था । प्रार्थीगण के पास खसरा संख्या 182, 428/183 के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त बिन्दूवार रिपोर्ट में गलत एवं गैर कानूनी रूप से स्वंय प्रार्थीगण का अतिक्रमण होना अंकित किया है जबबिक प्रार्थीगण का कई वर्षो पूर्व से बना मकान अपनी खातेदारी की भूमि में ही बनाया हुआ है । प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 182 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया

है। अधी0न्याया0 का निर्णय न्यायसंगत नहीं है और ना ही नैसर्गिक न्यायय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुकूल है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नबर 166 व 167 के उत्तर पूर्व में खसरा नबर 182 स्थित है जो सिवायचक खसरा नंबर है जिसके दक्षिण–पश्चिम भाग में खसरा नंबर 168 की उत्तरी–पूर्वी सीमा से लगते हुए प्रार्थी द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमएण कर पट्टी पोस मकान का निर्माण कर स्वंय का रास्ता स्वंय ने ही अवरूद्ध कर रखा है । यदि उक्त अतिक्रमण नहीं होता तो प्रार्थी के खतों पर जाने के लिए सिवायचक भूमि खुली थी । प्रार्थीगण वर्तमान में अपनी खातेदारी आराजियात में आने जाने के लिए खसरा संख्या 428/183 चारागाह व खसरा नंबर 182 सिवायचक भूमि का उपयोग करता है । अधी0नया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । प्रार्थीगण द्वार प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीगण/अपीलांटस की आराजी में आवागमन हेतु खसरा नंबर 166 व 167 की भूमियों में से होकर 5–7 फुट चौड़ा रास्ता है । अपीलांटस ने खसरा नंबर 182 को अनुपयोगी बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपीलांटस ने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध नही किया है कि उसकी आराजी पर आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र रास्ता हो । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब कर विधिसम्मत् रूप से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 166 व खसरा संख्या 167 प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात है जिसें आने जाने का रास्ता ग्राम जेतपुरा की आराजी खसरा संख्या 182 की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित मेड़ के सहारे–सहारे होते हुए व खसरा संख्या 428/183 में से होकर निकल रही नरेगा सड़क से उक्त खसरा की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित मेड़ के सहारे–सहारे 3–4 फीट चौड़ा रास्ता विद्यमान है जिसे अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जानबूझकर खसरा संख्या 182 व खसरा संख्या 428/183 की सीमा पर जबरन कांटों की बाड़ लगाकर रास्ते को बंद करने पर आमादा है जबकि खसरा संख्या 182 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 को पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा संख्या 182 की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित मेड़ के सहारे सहारे होते हुए व खसरा संख्या 428/183 में से होकर निकल रही नरेगा सड़क से उक्त खसरा संख्या 428/183, 182 की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित मेड़ के सहारे–सहारे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु 3–4 फीट चौड़ रास्ते को विस्तारित कर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करावे । अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु खसरा संख्या 166 व 167 की भूमियों से होकर 5–7 फीट चौड़ा रास्ता है, जिसे अवरूद्ध करने के लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तथा खसरा संख्या 182 सिवायचक भूमि को अनुपयोगी बनाने के लिये प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधी0न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदर, ब्यावर से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की है । तहसीदार ने अपनी बिन्दूवार रिपोर्ट/जवाब दिनांक 24.9.2020 के बिन्दु संख्या 1 में यह स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की है कि " प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 166 व 167 के उत्तर पूर्व में खसरा नंबर 182 स्थित है जो सिवायचक खसरा नंबर है जिसके दक्षिण–पश्चिम भाग में खसरा नंबर 168 की उत्तर–पूर्वी सीमा से लगते हुए प्रार्थी द्वारा सिवायचक भूमि में अतिमक्रण मर पूर्व से ही (वर्षो पूर्व से) पट्टी पोस पक्का मकान निर्माण कर स्वंय का रास्ता स्वंय नहीं अवरूद्ध कर रखा है अन्यथा अतिक्रमण न होने की दशा में प्रार्थी के खेतों पर जाने के लिए सिवायचक भूमि खुली थी और आज भी सिवायचक खसरा नंबर 182 में प्रार्थी द्वारा किए अतिक्रमण के अतिरिक्त अन्य कोई अतिक्रमण अथवा रास्ता अवरूद्ध नहीं है, खसरा नंबर 182 का शेष भाग खुला है । " इसी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया है कि " प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 166 व 167 से मुख्य मार्ग तक आने के लिए खसरा नंबर 182 सिवायचक व खसरा नंबर 428/183 चारागाह भूमि प्रयुक्त की जा रही है जो वर्तमान में मौका स्थिति अनुसार दोनों ही खसरा नंबर खुले रूप में है जिस पर आवागमन संबंधी कोई अवरोध नहीं है।" तहसीलदार, ब्यावर के उपरोक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वंय की आराजी में आवागमन हेतु खसरा नंबर 182 सिवायचक भूमि पर निर्माण कर स्वंय ने ही स्वंय का रास्ता अवरूद्ध कर रखा है न कि अप्रार्थी ने अवरूद्ध किया है । प्रार्थी स्वंय की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु चारागाह भूमि व सरकारी भूमि में से आना जाना करते है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार योग्य नहीं होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपाण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.10.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर